आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड,
8–ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

मैनुअल – तीन

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

निर्णय लेने की प्रकिया

आयुक्त, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन अधिकांश योजनायें भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित/कार्यान्वित की जा रही हैं । राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने व निर्णयों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनका अनुपालन आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है । आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन निर्णयों को कायान्वित करने के स्तर निम्नाकितं हैंः–

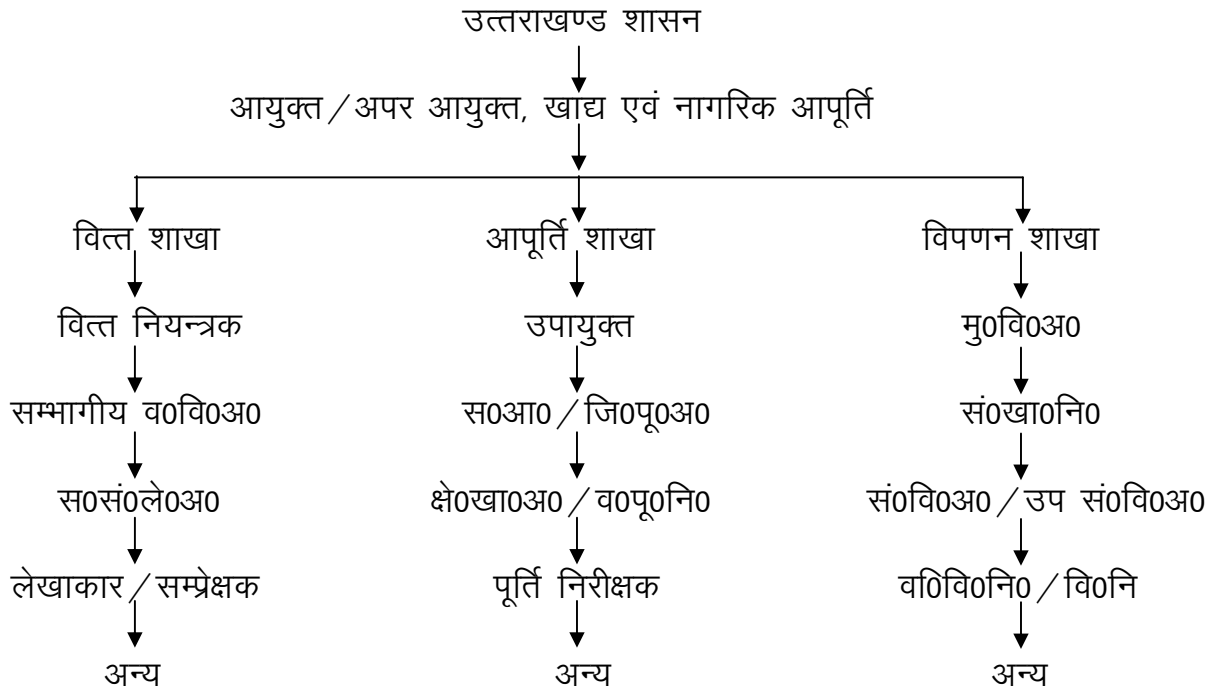

कृत्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन निम्न शाखायें/विभाग गठित हैं :–

- **वित्त शाखा**
- **विपणन शाखा**
- **आपूर्ति शाखा**

आपूर्ति एवं विपणन शाखा में योजनाओं से सम्बन्धित निर्णय की प्रक्रिया व नियम

आपूर्ति शाखा :– खाद्य विभाग की आपूर्ति शाखा का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है जिसके सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही ''**उत्तराँचल अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2003**'' के अधीन सुनिश्चित की जा रही है।

विपणन शाखा :– विभाग की विपणन शाखा द्वारा गेहूँ/धान की खरीद मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुरूप सीधे कृषकों से सुनिश्चित की जाती है ।

इसी भाँति लेवी योजनान्तर्गत चावल की खरीद चावल मिलों से समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुरूप की जाती है ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आवंटित लेवी चीनी सम्बन्धित चीनी मिलों से निर्धारित दर पर क्रय करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से निर्गत की जाती है ।

योजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियॉ मैनुअल–पॉच में सलंग्न है।

अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु नियम

अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित अधिष्ठान सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही सेवा नियमावलियों व कार्मिक विभाग एवं वित्तीय मामलों में समस्त कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है ।

आपूर्ति शाखा के कार्मिकों पर लागू निम्न सेवा नियमावलियों की प्रतियॉ मैनुअल–पाँच में सलंग्न है :-

1.	उत्तर प्रदेश, खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधिनस्थ सेवानियमावली, 1980 में (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993
2.	उत्तर प्रदेश, खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) लिपिक वर्ग, सेवानियमावली, 1979 दिनांक 18–05–1979

3.	उत्तर प्रदेश, खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधिनस्थ सेवानियमावली, 1980 (निरीक्षक एवं ज्येष्ठ निरीक्षक)
4.	उत्तर प्रदेश, खाद्य तथा रसद (पूर्ति) सेवानियमावली, 1981 (अधिकारी वर्ग)
5.	वर्ष 1981 की सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन 1999 में दिनांक 15 जुलाई 1999
6.	उत्तरांचल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, (आपूर्ति शाखा) अधिनस्थ सेवानियमावली वर्ष 2005 दिनांक 16–04–2005

विपणन शाखा के कार्मिकों पर लागू निम्न सेवा नियमावलियों की प्रतियाँ मैनुअल–पाँच में सलंग्न है :-

1.	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) सेवा नियमावली, 1981
2.	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 एवं प्रथम संशोधन 1993
3.	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979
4.	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (विपणन शाखा) समूह ''घ'' (कामदार) सेवा नियामवली, 1993

वित्तीय प्रकरणों में निर्णय लेने की प्रक्रिया व नियम

खाद्य विभाग की लेखा–शाखा में मुख्यालय स्तर पर वित्ती मामले सम्बन्धी समस्त निर्णय वित्त नियन्त्रक, की संस्तुति पर आयुक्त महोदय द्वारा लिए जाते हैं।

किसी विशेष विषय पर वित्त नियन्त्रक, की रिपोर्ट पर अपर आयुक्त द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर भी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है।

वित्त सम्बन्धी लिए गए निर्णय को यथा आवश्यकता अनुसार दोनों सम्भागों को प्रेषित किया जाता है, जहाँ से जनता जानकारी प्राप्त कर सकती है।

वित्त सम्बन्धी मामलों में किसी भी पत्रावली पर लेखाकार द्वारा रिपोर्ट देने पर सहायक लेखाधिकारी द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। सहायक लेखाधिकारी की परीक्षण रिपोर्ट पर वित्त नियन्त्रक, अपनी संस्तुति अपर आयुक्त के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रेषित करते हैं।

खाद्य विभाग के वित्त सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के लिए आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सक्षम है।

आपूर्ति शाखा में योजनाओं से सम्बन्धित नियम

1. राज्य के प्रत्येक जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आन्तरिक गोदामों में उनके क्षमता के अुनसार खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित monitoring कर राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही तथा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्ड धारकों के लिये खाद्यान्न योजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेशों की प्रतियाँ मैनुअल–पाँच में सलंग्न है।

******